राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1024, 1025, 1026, 1027 व 1028/2013/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान, घट–द्वितीय, वृत्त–तृतीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स भगेरिया कैरियर्स एण्ड लिफ्टर्स,
न्यू गोपाल पुरा, गुजर की थड़ी, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वैभव कासलीवाल,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :13.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, घट–द्वितीय, वृत्त–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा उक्त पांच अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स–प्रथम), जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक **01.11.2012** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो क्रमशः **अपील संख्या 214, 215, 216, 217 व 218/आरवैट/2011–12** के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 25/26, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष क्रमशः 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 व 2011–12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **12.12.2011** के जरिये अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति क्रमशः **₹5,66,328/–, ₹5,56,206/–, ₹3,28,840/–, ₹1,38,136/– व ₹1,27,730** को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. चूंकि पांचों अपील प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं। अतः पांचों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्त–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे ''सर्वेक्षण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा किया जाकर, वक्त जांच यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं एवम् ईकाईयों को अपनी क्रेन का उपयोग

लगातार.....2

करने का अधिकार अंतरण करते हुये उक्त प्रदान की गयी सुविधाओं के एवज् में इन्वॉयसेज जारी कर, धन राशि प्राप्त की गयी है, जिसे अधिनियम की धारा 2(35)(4) के तहत् विक्रय की परिभाषा में होना अवधारित कर, पत्रावलियां अग्रिम कार्यवाही हेतु अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हुई। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित बिन्दु के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिसेज़ जारी कर, उक्त प्रदान की गयी सुविधाओं के एवज् में प्राप्त धनराशि को अधिनियम की धारा 2(35)(4) के तहत् विक्रय होना अवधारित कर, एवम् तद्नुसार उक्त को अनुसूची–IV के तहत् कर योग्य होने के कारण, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किये गये विक्रय पर वैट का दायित्व होने एवम् करापवंचन के कारण करारोपण व शास्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। जारी नोटिसेज़ की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किये गये जिन्हें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, तद्नुसार निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.2011 पारित किये गये। उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये संयुक्तादेश दिनांक 01.11.2012 के प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्तियों को अपास्त कर दिया गया। जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उक्त विवादित बिन्दु पर पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि **प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है।** चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:–

लगातार.....3

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)

(ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)

(iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस. टी.सी. 238 (राज.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन. टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)

(v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.) ग

(vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)

(vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]

(ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर–7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)

(x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी–139,रोड़ नम्बर–12, वी.के. आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

लगातार.....4

(xii)मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन–तृतीय, जयपुर अपील क्रमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

7. इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है । लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि **प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है।** चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित हेाने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं ।

9. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

10. निर्णय सुनाया गया।

13.3.2014
(मदन लाल)
सदस्य